

समाहरणालय, लातेहार

(आपूर्ति शाखा)

धान अधिप्राप्ति योजना 2016-17 आम सूचना

- धान अधिप्राप्ति हेतु कम्प्यूटीकृत प्रणाली लागू की गई है।
- केवल निबंधित किसानों से ही धान अधिप्राप्ति की जायेगी। निबंधित किसानों को SMS से धान प्राप्ति की तिथि की सूचना भेजी जायेगी।
- SMS भेजे जाने के तीन दिन बाद किसान से धान क्रय किया जायेगा।
- धान क्रय करने के 7 दिनों अंदर NEFT/RTGS से भुगतान किया जायेगा।
- राज्य सरकार द्वारा किसानों को धान का अतिरिक्त रू0 130 /- प्रति क्विंटल की दर से बोनस का भुगतान किया जायेगा।
- किसान अपने प्रखण्ड में चिन्हित धान अधिप्राप्ति केन्द्र पर न्यूनतम समर्थन मूल्य रू0 1470/- + बोनस रू0 130 /- = कुल रू0 1600 /- प्रति क्विंटल की दर से धान बिक्री कर सकते हैं।
- जिन किसानों का निबंधन नहीं हो सका है। वे अपने नजदीकी जिला / अनुमण्डल / प्रखण्ड कार्यालय / धान अधिप्राप्ति केंद्र से सम्पर्क कर दिनांक 31.03.2017 तक निबंधन करा सकते हैं।
- किसान अपने ID No से jhr.nic.in / uparjan पर search कर अपना सम्पूर्ण विवरणी देख सकते हैं।
- लातेहार जिला अन्तर्गत प्रखण्डवार धान अधिप्राप्ति केंद्रों में पदस्थापित पदाधिकारी का सम्पर्क संख्या निम्न प्रकार से है:-

क्र.	प्रखण्ड का नाम	कर्मि का नाम	पदनाम	सम्पर्क संख्या
1	चंदवा एवं बालूमाथ	श्री अजय भगत	क्रय पदा0	8987495010
2	बालूमाथ	श्री श्यालाल उरांव	डिपू ईन्चार्ज	9430789630
3	चंदवा	श्री जरदन एकका	डिपू ईन्चार्ज	9431578139
4	बरवाडीह	श्री कुनाल चक्रवती	डिपू ईन्चार्ज	8017112635
5	लातेहार	श्री महेन्द्र कुमार	डिपू ईन्चार्ज	9939006103
6	मनिका	श्री आलोक रंजन	डिपू ईन्चार्ज	9570020111
7	लातेहार एवं मनिका	श्री एस0एस0 राणा	क्रय पदा0	8294297978

संबंधित प्रखण्ड के किसान उक्त नम्बर से सम्पर्क स्थापित कर धान अधिप्राप्ति से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

- लातेहार जिला में अधिप्राप्ति से संबंधित शिकायतों का निर्वारण हेतु कोषांग का गठन किया गया :-

क्र.	पदाधिकारी / कर्मि का नाम	पदनाम	सम्पर्क संख्या
1	श्री रूपेश कुमार	कार्यपालक दण्डाधिकारी	9931831108
2	सुश्री सरोज तेलरा	निम्नवर्गीय लिपिक	7677514100
3	श्री लाल पंकज कुमार नाथ शाहदेव	निम्नवर्गीय लिपिक	8102241338
4	श्री अनुपम कुमार	कम्प्यूटर ऑपरेटर	8252940321
5	श्री अमित कुमार	कम्प्यूटर ऑपरेटर	9097264445
6	कोषांग का पी0एन0टी0 नम्बर		06565-247628

किसानों किसी भी प्रकार का धान अधिप्राप्ति से संबंधित शिकायत हो तो उक्त नम्बर पर सम्पर्क कर अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

उपायुक्त,
लातेहार।